यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, मुख्य अभियंता, स्तर-1 ग्रामीण निर्माण विभाग देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, मुख्य अभियंता, स्तर-1 ग्रामीण निर्माण विभाग देहरादून के माह 07/2017 से 6/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री एस.के. जौहरी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 16.07.2018 से 26.07.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इकाई की विगत लेखापरीक्षा 27.7.17 से 31.7.17 की अवधि में श्री रामवीर सिंह सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा श्री ए. सी. कटियार वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्येवेक्षण में सम्पादित की गयी थी ,जिसमे माह 07/2016 से 06/2017 तक की अवधि को आच्छादित किया गया ।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2017 से 6/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **(**अ) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ग्रामीण निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष की हैसियत से सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय निर्देश जारी करना तथा निर्माण कार्यों का निरीक्षण एवं प्रगति की समीक्षा करना ।

   (ब) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

धनराशि रुपये में (वर्ष)	आवंटन		व्यय		बचत / अभ्यर्पण	
	स्थापना में	गैर स्थापना	स्थापना में	गैर स्थापना	स्थापना में	गैर स्थापना
2015-16	16805000		16459693	--	345307	--
2016-17	23726151		18188452	--	5537699	--
2017-18	24752268		23785421	--	966847	--
2018-19 upto june 2018	24665000		6918535	--	--	--

ब - केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत इकाई को प्राप्त धनराशि -शून्य

(ii) इकाई को बजट आवंटन सचिव ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई, "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार हैः

1. मुख्य अभियंता स्तर-1
2. अधीक्षण अभियंता (परिमंडल वार-4)
3. अधिशासी अभियंता (प्रभाग वार)
4. सहायक अभियंता
5. कनिष्ट अभियंता

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, मुख्य अभियंता, स्तर-1 ग्रामीण निर्माण विभाग देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, मुख्य अभियंता, स्तर-1 ग्रामीण निर्माण विभाग देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -2 अ

प्रस्तर-01- विभागीय लापरवाही एवं अदूरदर्शिता से रु.131.88 लाख की धनराशि की हानि।

ऋण के माध्यम से कराये जाने वाले मार्ग निर्माण कार्यों मे यह बात समुचित रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिये कि इस निमित्त ऋण प्राप्त करने से पूर्व ही समस्त औपचारिकताए यथा समुचित सर्वेक्षण,भूमि की उपलब्धता, मृदा परीक्षण,सर्वमान्य समरेखन,मार्ग मे पड़ने वाले वन क्षेत्र मे कार्य करने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं मुआवजा संबंधी प्रकरण आदि को सुलझा लिया जाना चाहिये ताकि कार्ये निर्बाध गति से निर्धारित अवधि मे पूर्ण किया जा सके एवं ऋण की धनराशि पर अनावश्यक ब्याज की देयता से बचा जा सके । कार्यालय मुख्य अभियंता (स्तर-1),ग्रामीण कार्ये विभाग उत्तराखंड ,देहरादून के अभिलेखों की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि विभाग द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु नाबार्ड से लोन लेकर कार्य कराये जाने की प्रक्रिया के तहत नाबार्ड द्वारा वर्ष 2014-15 के अंतर्गत 77 सडको हेतु रु.11236 लाख की धनराशि,वर्ष 2015-16 के अंतर्गत 85 सडको हेतु रु.16297 लाख की धनराशि तथा वर्ष 2016-17 के अंतर्गत 21 सडको हेतु रु.4498.98 लाख की धनराशि सहित कुल 183 सडको हेतु रु.32031.98 लाख की धनराशि का ऋण विभाग को स्वीकृत किया गया .उक्त ऋण के क्रम में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सडको के निर्माण हेतु वर्ष 2014-15 में रु.3463.86 लाख,वर्ष 2015-16 में रु.5446.22 लाख तथा वर्ष 2016-17 में रु.1349.66 लाख की धनराशि का मोबलाईजेशन अग्रिम प्रदान किया गया । लेखा परीक्षा में पाया गया कि आतिथि (जुलाई 2018 तक) तक वर्ष 2014-15 के अंतर्गत स्वीकृत 02 कार्य,वर्ष 2015-16 के अंतर्गत 15 कार्य तथा वर्ष 2016-17 के अंतर्गत 04 कार्य आरंभ ही नहीं किये गए थे जबकि उक्त 21 कार्यों में से 19 कार्यों हेतु धनराशि सम्बंधित प्रखंडों को निर्गत की जा चुकी थी । लेखा परीक्षा में आगे पाया गया कि नाबार्ड से ऋण की धनराशि प्राप्त करने के 19 माह से लेकर 40 माह की अवधि बीत जाने के पश्चात् उक्त 21 कार्यों को निरस्त कर दिया गया । उक्त 21 निरस्त निर्माण कार्यो के अंतर्गत कुल रु. 852.17 लाख की धनराशि विभिन्न प्रखंडो के पास निष्प्रयोज्य अवरुद्ध पड़ी थी एवं उक्त धनराशि को खंडो से वापस प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी । चूँकि उपरोक्त निर्माण कार्यो हेतु धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त की गयी थी अतः बैंक द्वारा ऋण जारी करने की तिथि से निरस्त योजना हेतु प्रदत्त मोबलाईजेशन अग्रिम के अन्य योजना में समायोजन किये जाने की तिथि तक के ब्याज की धनराशि का व्ययभार विभाग द्वारा बिना किसी उद्देश्य की पूर्ति के ही वहन किया जाना है, जो विभाग के लिए हानि थी ।

नाबार्ड द्वारा लोन स्वीकृति प्रपत्र में दर्शायी गयी ब्याज दरों के अनुसार उपरोक्त सडको के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर लेखापरीक्षा तिथि तक रु.127.68 लाख की धनराशि का भुगतान व्याज के रूप में किया जाना था (संलग्नक-1)। इसके अतिरिक्त उक्त 21 निर्माण कार्यो में से 06 कार्यों में सर्वे आदि पर रु. 4.20 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी जो निर्माण कार्यों के निरस्त किये जाने के परिणाम स्वरुप निष्फल साबित हुई,एवं विभाग के लिए हानि थी । इस प्रकार विभागीय अदूरदर्शिता, लापरवाही एवं समुचित अनुश्रवण के अभाव मे विभाग को कुल रु.131.88 लाख की हानि हुई। लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि निर्माण कार्ये पर धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात कार्ये प्रारम्भ कराने का प्रखंडों द्वारा प्रयास किया गया। मार्गो पर आने वाले व्यवधानों को निस्तारित करने हेतु समुचित कार्यवाही की जाती रही। कार्य प्रारम्भ न हो पाने की स्थिति मे ही निरस्तीकरण हेतु प्रस्ताव संबन्धित जिलाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किया गया। मुख्यालय द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण की नियमित मासिक समीक्षा, अनुश्रवण एवं विभिन्न स्तरों से कार्यों का समुचित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराया जाता रहा है। विभिन्न कारणो यथा ग्रामीणों द्वारा भूमि देने से माना करना /संरेखण से सहमत न होना /भू-वैज्ञानिक द्वारा भूमि अनुपयुक्त /गौचर भूमि परिलक्षित होना /भूमि पर अत्यधिक पेड़ होना आदि कारणो से कार्य प्रारम्भ नहीं किए जा सके। प्रखंडों /परिमंडलों /एवं मुख्यालय द्वारा उक्त अनारम्भ कार्यों मे आने वाले व्यवधानों /विवादों को निस्तारित कराने का हरसंभव प्रयास किया गया, ताकि कार्यो को जनहित मे प्रारम्भ कराया जा सके। लेखा परीक्षा द्वारा उल्लेखित 06 सड़कों के सर्वेक्षण एवं डीoपीoआर तैयार कराने पर रु. 4.20 लाख धनराशि का व्यय प्रखंडों द्वारा किया गया। इकाई का उत्तर स्वीकार्ये नहीं है क्योकि इकाई द्वारा प्रस्तुत निरस्त मार्गो की सूची के अनुसार जिन 21 सड़कों के निर्माण कार्ये को निरस्त किया गया है उनमे से 06 मार्गो पर मुआवजे से संबन्धित, 04 मार्गो पर संरेखण से संबन्धित, 01मार्ग पर मृदा परीक्षण मे प्रतिकूलता से संबन्धित, 03 मार्गो मे भूमि पर गौचर पाये जाने से संबन्धित ,05 मार्गो पर वनभूमि से संबन्धित एवं 02 मार्गो पर लोक निर्माण विभाग द्वारा भी मार्ग स्वीकृत किए जाने संबंधी कारणों को आधार बनाकर मार्गो को निरस्त किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है जबकि उपरोक्त कारण मार्गो हेतु सर्वे किए जाने के समय ही विभाग के संज्ञान मे आ जाना चाहिये थे एवं समय रहते उनका समाधान कर किया जाना चाहिए था ताकि ऋण की धनराशि प्राप्त होते ही कार्य निर्बाध रूप से किए जा सके एवं ब्याज की अनावश्यक देयता से बचा जा सके,साथ ही यदि किसी मार्ग पर समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था तो उसका प्रस्ताव शासन को भेजा ही नहीं जाना

चाहिए था । स्पष्ट है कि जिन 06 मार्गो पर कुछ धनराशि व्यय होना दर्शाया गया है,को छोड़कर शेष 15 मार्गो पर कोई सर्वे कराया ही नहीं गया (सर्वे रिपोर्ट अप्रस्तुत) एवं जिन 06 मार्गो पर सर्वे किया भी गया उन मार्गो को भी निरस्त किया जाना यह दर्शाता है कि उक्त सर्वे गंभीरता/दूरदर्शिता के साथ नहीं किया गया। फलतः जब मार्गो पर निर्माण कार्ये आरंभ किया गया तो वास्तविक स्थिति एवं समस्याएँ परिलक्षित हुईं। इस प्रकरण मे विभाग द्वारा लापरवाही एवं अदूरदर्शिता दर्शाते हुए बिना कोई सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त किए एवं विचारविमर्श किए मार्गो के प्रस्ताव ऋण प्राप्त करने हेतु शासन को भेज दिये । परिणामतः मार्गो पर कार्य आरंभ नहीं हो सका, अंततः इन कार्यो को निरस्त करना पड़ा । इन कार्यों को निरस्त किए जाने के बावजूद इन मार्गों हेतु नाबार्ड से ऋण प्राप्त होने की तिथि से इन मार्गों हेतु स्वीकृत धनराशि के अन्य मार्गो हेतु स्वीकृत धनराशि मे समायोजन किए जाने की तिथि तक के ब्याज की धनराशि का भुगतान करना विभाग की देयता थी । अतः विभागीय लापरवाही एवं अदूरदर्शिता से रु.131.88 लाख की धनराशि की हानि का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

संलग्नक -1

बैंक(नाबार्ड) को देय ब्याज की स्थिति (07/2018 तक)

ऋण प्रदान करने की तिथि	ऋण की धनराशि	ऋण प्रदान करने की तिथि से वर्तमान तक की अवधि (07/2018 तक)	ब्याज दर	ब्याज की देय धनराशि (रुपए में)
03/2015	97.31 लाख	40 माह	6.25%	20,27,293
12/2015	440.50 लाख	31 माह	6.75%,	76,81,219
	57.00 लाख	31 माह	6.25%	9,20,313
12/2016	257.36 लाख	19 माह	5.25%	21,39,305
कुल ब्याज				**1,27,68,130**

भाग 2 ब

प्रस्तर 01- रु.180.47 लाख की धनराशि को निष्प्रयोज्य अवरुद्ध रखा जाना।

कार्यालय मुख्य अभियंता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड ,देहरादून के अभिलेखों की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि राज्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु वर्ष 2015-16 में 24 कार्य स्वीकृत किये गए थे . उक्त कार्यों में से 11 कार्य विभिन्न कारणों से लेखा परीक्षा तिथि (जुलाई 2018) तक आरंभ ही नहीं किए गए थे जबकि उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न प्रखंडो को माह 03/2016 में ही धनराशि अवमुक्त की जा चुकी थी जो 27 माह की अवधि से निर्माण खण्ड स्तर पर निष्प्रयोजय अवरुद्ध थी ।यधपी विभाग द्वारा लेखा परीक्षा अवधि (07/2018)तक 05 मार्गो को आबंटित धनराशि रु.110.07 लाख को वापस प्राप्त कर लिया गया था परंतु अवशेष 06 मार्गो के निर्माण की धनराशि रु. 180.47 लाख विभिन्न प्रखंडों के पास अवरुद्ध पड़ी थी। सामान्यतः निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत कराये जाने से पूर्व विस्तृत सर्वे कराकर मार्ग निर्माण मे आने वाली बाधाओ को दूर किया जाना चाहिए ताकि आवंटित धनराशि का प्रयोग निर्बाध रूप से निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु किया जा सके एवं आम जनमानस को उसका लाभ मिल सके। परंतु सर्वे किए जाने से संबन्धित कोई भी अभिलेख इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका अर्थात बिना किसी समुचित योजना के ही धनराशि आवंटित कर दी गयी थी। साथ ही यदि निर्माण कार्ये कराया जाना संभव नहीं हो रहा था तो मुख्यालय द्वारा तत्काल इस धनराशि को प्रखंडों से वापस प्राप्त किया जाना चाहिए था ताकि इस धनराशि का प्रयोग अन्य कार्यो (इसी योजना के अंतर्गत 05 कार्ये धनावंटन के अभाव मे रुके हुए हैं) को पूरा करने मे किया जा सके। परंतु विभागीय लापरवाही एवं पर्याप्त अनुश्रवण के अभाव के चलते इस संबंध मे कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए एवं उक्त 11 निर्माण कार्यो को निरस्त करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। फलतः एक तरफ ना तो यह कार्ये ही आरंभ किए गए और ना ही इस अवरुद्ध धनराशि का प्रयोग धनाभाव मे अपूर्ण कार्यों को पूरा करने मे किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि अवमुक्त धनराशि को राजकोष मे जमा करने के निर्देश दिये गए हैं जिसके क्रम मे इस कार्यालय के पत्रांक 256 दिनांक 07 जुलाई 2018 द्वारा प्रखंडों को तदनुसार निर्देशित किया जा चुका है। शेष एक कार्ये कुलायु मे कठपुड़िया से तल्ला कुलायु मोटर मार्ग मे आने वाली वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव वन विभाग के नोडल स्तर पर विचाराधीन है। निरस्तीकरण/अनारंभ कार्यों पर अवमुक्त धनराशि को शासन की स्वीकृति के उपरांत ही राजकोष मे

जमा किया जा सकता है । इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है । अतः रु.180.47 लाख की धनराशि को निष्प्रयोज्य अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**अवधि**	**प्रस्तर संख्या**
66/ 2015-16	2015-16	02
39/ 2016-17	2016-17	02
42/ 2017-18	2017-18	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
66/15-16	01(2ब)	प्रस्तुत	गत ले.प. दल द्वारा निस्तारण का संस्तुति	
39/16-17	02(2ब)	प्रस्तुत	गत ले.प. दल द्वारा निस्तारण का संस्तुति	
42/17-18	01(2ब)	प्रस्तुत	यथावत	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----शून्य --

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, मुख्य अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

2. सतत् अनियमितताएः

-- शून्य --

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम	अवधि		नाम	पदनाम
	से	तक		
1	31.01.2016	अव तक	श्री वाई. डी. पाण्डेय	मुख्य अभियंता, स्तर-1

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, मुख्य अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग देहरादून को इस आशय से प्रेषित की जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार,सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून को प्रेषित कर दी जाएगी।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकार/सा.क्षे.